



क्रमांक/२५७७/डी.एल.एड./परीक्षा/2019-20

रायपुर दिनांक २३/०७/२०१९

प्रति,

सचिव,  
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल,  
पेंशनबाड़ा, रायपुर

**विषय** – प्रारंभिक शिक्षा में पत्रोपाधि (डी.एल.एड.) परीक्षा के संदर्भ में।

**संदर्भ** – सचिव, छ०ग०मा०शि०म० पेंशनबाड़ा रायपुर का पत्र क्र./३७३३/डाटा/२०१९ रायपुर  
दिनांक २२.०७.२०१९ ।

—000—

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एल.एड. परीक्षा में श्रेणियाँ निम्नांकित  
आधार पर की जायेगी :-

- व्यावहारिक परीक्षा विशेष योग्यता – ८० प्रतिशत या उससे अधिक ।  
प्रथम श्रेणी – ७० तथा ७० प्रतिशत से अधिक ।  
द्वितीय श्रेणी – ५० तथा ५० प्रतिशत से अधिक तथा ७० से कम ।
- सैद्धांतिक परीक्षा विशेष योग्यता – ८० प्रतिशत या उससे अधिक ।  
प्रथम श्रेणी – ७० तथा ७० प्रतिशत से अधिक ।  
द्वितीय श्रेणी – ५० तथा ५० प्रतिशत से अधिक तथा ७० से कम ।
- यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रथम वर्ष के अनुत्तीर्ण विषय एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा में एक साथ सम्मिलित हो रहा है, तो उस प्रशिक्षणार्थी को निम्न परिस्थितियों में अंकसूची प्रदान किया जाना है –
  - प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही द्वितीय वर्ष की अंकसूची जारी की जायेगी ।
  - प्रथम वर्ष अनुत्तीर्ण एवं द्वितीय वर्ष उत्तीर्ण होने पर प्रथम वर्ष की अंकसूची प्रदान की जायेगी, किन्तु द्वितीय वर्ष की अंकसूची प्रदान नहीं की जायेगी । द्वितीय वर्ष की अंकसूची वेबसाइट में प्रदर्शित की जायेगी, परन्तु द्वितीय वर्ष की अंकसूची का परिणाम अनुत्तीर्ण अंकित किया जायेगा तथा नोट में प्रथम वर्ष के अनुत्तीर्ण विषय के नाम अंकित कर उनके समक्ष ATKT अंकित लिखा जायेगा ।
  - प्रथम वर्ष अनुत्तीर्ण तथा द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण होने अथवा समस्त अवसर समाप्त हो जाने के उपरांत द्वितीय वर्ष की अंकसूची दी जायेगी, जिसमें परीक्षाफल अनुत्तीर्ण अंकित किया जायेगा तथा प्रथम वर्ष के अनुत्तीर्ण विषयों में अनुत्तीर्ण प्रदर्शित किया जायेगा ।

(पी. दयानंद)

संचालक

एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग., रायपुर